

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 मई 2022—वैशाख 19, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 मई 2022

क्र. एफ 2-16-लोसेप्र-पी.एस.जी.-01.—मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा उर्जा विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 256 एफ-2-13-2012-61-लोसेप्र-पी.एस.जी-1, दिनांक 27 जून 2015 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 1.9 एवं अधिसूचना क्र. 399 एफ-2-13-2012-61-लोसेप्र-पी.एस.जी-1, दिनांक 29 सितम्बर 2015 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 1.12 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम,

प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात: -

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवाएं -

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1.9	उच्चदाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृत पत्र (सेक्शन लेटर) प्रदान करना,	(अ) 33 के.व्ही. तक व्रत प्रभारी अधीक्षण यंत्री,	15 कार्य दिवस	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस	प्रमुख (वाणिज्य) कॉर्पोरेट कार्यालय

		(ब) 132 एवं 220 के.व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	30 कार्य दिवस	प्रमुख (वाणिज्य) कॉर्पोरेट कार्यालय	15 कार्य दिवस	प्रबंध निदेशक
1.12	सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करना,	(अ) निम्न दाब एवं उच्चदाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी	21 कार्य दिवस	मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी	30 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक वितरण कंपनी
		(ब) अति उच्चदाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक पारेषण कंपनी	60 कार्य दिवस	मुख्य अभियंता कार्यालय प्रबंध संचालक पारेषण कंपनी	30 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक पारेषण कंपनी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.